



श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय  
( केन्द्रीय विश्वविद्यालय )

बी-४, कुतुब सांस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली-११००१६

पत्रांक: Guest Faculty/SLBSNSU/01/2024/1571

दिनांक 14.03.2024

अधिसूचना

श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली (शैक्षणिक सत्र- 2023-24) के लिए निम्नलिखित सहायक आचार्य (अतिथि) (Guest Faculty) के लिये आवेदन आमन्त्रित किये जाते हैं:-

क्रम संख्या	विभाग	सहायक आचार्य (अतिथि) संख्या एवं श्रेणी
01.	विशिष्टाद्वैत वेदान्त	01 (01-SC)
02.	धर्मशास्त्र विभाग	01 (01-OBC)
03.	सांख्ययोग विभाग	01 (UR)
04.	व्याकरण विभाग	02 (01-UR & 01-OBC)

सहायक आचार्य (अतिथि)

1,500/- रूपये प्रति व्याख्यान तथा अधिकतम 50,000/- रूपये प्रति माह जो भी कम हो देय होगा

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम 2018 के अन्तर्गत अतिथि अध्यापकों के लिए वांछनीय योग्यता निम्न प्रकार है:-

01. किसी भारतीय विश्वविद्यालय से संबंधित/संगत/संबद्ध विषय में 55 प्रतिशत अंक के साथ निष्णात (स्नातकोत्तर) उपाधि (अथवा जहां कहीं भी प्रेडिंग प्रणाली लागू हो वहां प्वाइट स्केल में समतुल्य ग्रेड) अथवा किसी प्रत्यायित विदेशी विश्वविद्यालय से समतुल्य उपाधि ।
02. उक्त अर्हताओं को पूरा करने के साथ-साथ अभ्यर्थी ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा CSIR द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (NET) उत्तीर्ण की हो अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रत्यायित इसी प्रकार की परीक्षा यथा SLET/SET उत्तीर्ण की हो अथवा जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग M.Phil/Ph.D उपाधि के लिए न्यूनतम मानक और प्रक्रिया) विनियम 2009 अथवा 2016 और समय-समय पर इनमें बाद में किये गये संशोधनों,जैसा भी मामला हो, के अनुसार की हो अथवा Ph.D की उपाधि प्रदान की गयी हो, उन्हें NET/SLET/SET से छूट प्रदान की जायेगी :-

**बशर्ते:-**

दिनांक 11 जुलाई, 2009 से पूर्व एम.फिल./पीएचडी कार्यक्रम के लिए पंजीकृत अभ्यर्थियों को उपाधि प्रदान करने वाली संस्थाओं के तत्कालीन विद्यमान अध्यादेशों/उपनियमों/विनियमों के उपबंधों द्वारा अभिशासित होंगे । ऐसे सभी पीएचडी धारक अभ्यर्थियों को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने अध्यधीन विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/ संस्थाओं में सहायक आचार्य अथवा समतुल्य पदों पर भर्ती और नियुक्ति के लिए NET/SLET/SET की अपेक्षा से छूट प्रदान की जाएगी:-

- (क) अभ्यर्थी को पीएचडी की उपाधि केवल नियमित पद्धति से प्रदान की गई हो,
- (ख) पीएचडी शोध प्रबंध का मूल्यांकन कम से कम दो बाह्य परीक्षकों द्वारा किया गया हो,
- (ग) पीएचडी के लिए अभ्यर्थी की एक खुली मौखिक परीक्षा आयोजित की गई हो,
- (घ) अभ्यर्थी ने अपने पीएचडी कार्य से दो अनुसंधान पत्रों को प्रकाशित किया हो जिनमें से कम से कम एक संदर्भित जर्नल में प्रकाशित हुआ हो,
- (ङ) अभ्यर्थी ने UGC/ICSSR/CSIR अथवा ऐसी की किसी एजेंसी द्वारा प्रायोजित/वित्तपोषित/सहायता प्राप्त सम्मेलनों/विचार गोष्ठियों में अपने पीएचडी कार्यों के आधार पर कम से कम दो पत्रों को प्रस्तुत किया हो ।

कृ.पू.उ.

पूर्व पृष्ठ से जारी:-

इन शर्तों को पूरा करने को संबंधित विश्वविद्यालय के कुलसचिव अथवा संकाय अध्यक्ष (शैक्षणिक कार्य) द्वारा सत्यापित किया जाए।

नोट:- ऐसी विधाओं में निष्णात कार्यक्रमों के लिए NET/SLET/SET अर्हता अपेक्षित नहीं होगी जिनमें वि.अ.आ./सीएसआईआर द्वारा एनईटी/एसएलईटी/एसईटी अथवा वि.अ.ओ. द्वारा प्रत्यायित इसी प्रकार की परीक्षा जैसे एनईटी/एसएलईटी आदि आयोजित नहीं की जाती हैं।


**अथवा**

(ख) विश्व के शीर्षतम 500 रैंक वाले विदेशी विश्वविद्यालय/संस्थान (किसी भी समय) से पीएचडी की उपाधि निम्नलिखित में से किसी एक से प्राप्त की गई हो:-

- (1) क्वैकवेरेली सायमंड (क्यूएस)
- (2) दि टाइम्स हॉयर एजुकेशन (टीएचई) अथवा
- (3) शंघाई जियाओं टोंग यूनिवर्सिटी (शंघाई)।


नोट: विश्वविद्यालयों के लिए विनिर्दिष्ट परिशिष्ट II (तालिका ३क) और महाविद्यालयों के लिए परिशिष्ट II (तालिका ३ख) में यथा विनिर्दिष्ट शैक्षणिक प्राप्तांकों पर केवल साक्षात्कार के लिए चुनने हेतु विचार किया जाएगा और चयन इस साक्षात्कार में किये गए प्रदर्शन पर आधारित होगा।

01. अतिथि अध्यापकों के लिए निर्धारित आवेदन-पत्र को विश्वविद्यालय के वेबसाइट [www.slbsrsv.ac.in](http://www.slbsrsv.ac.in) से **Download** किया जा सकता है।
02. निर्धारित आवेदन-पत्र को विधिवत रूप से पूर्ण कर संलग्न प्रपत्रों सहित स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड पोस्ट/स्वयं कार्यालय में आकर कर कुलसचिव, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, (केन्द्रीय विश्वविद्यालय), बी-4, कुतुब सांस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली-110016 के नाम अन्तिम तिथि दिनांक 26.03.2024 तक प्रेषित कर सकते हैं। अन्तिम तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्र किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
03. चयन साक्षात्कार के माध्यम से किया जायेगा। साक्षात्कार की तिथियां विश्वविद्यालय वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेंगी। सम्बन्धित उम्मीदवारों को चाहिए कि वह विश्वविद्यालय की वेबसाइट को लगातार देखें।
04. अतिथि अध्यापक को किसी प्रकार का भत्ता, पेंशन, ग्रेज्युटी, अवकाश इत्यादि देय नहीं होगा।
05. आरक्षण श्रेणी के उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता के लिए निर्धारित अंकों में छूट विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रखरखाव हेतु अन्य उपाय संबंधी विनियम-2018 के अनुसार प्रदान की जायेगी।
06. इस अधिसूचना में यदि कोई त्रुटि पायी जाती है तो उसे नियमानुसार संशोधित किया जाएगा।

  
कुलसचिव (प्रभारी)

Sachin

for marks.

  
15-03-2024